भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 92
उत्तर देने की तारीख 20.07.2026

वित्तीय सहायता की समीक्षा

92. मोहम्मद रकीबुल हुसैन :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान असम में प्रमुख सांस्कृतिक उत्सवों, मेलों और पारंपरिक आयोजनों के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता की समीक्षा की है;

(ख) क्या हाल के वर्षों में उसके आवंटन में कोई कमी देखी गई है;

(ग) स्थानीय कलाकारों, कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं पर इस कमी का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सांस्कृतिक कर्मियों के लिए निरंतर आजीविका सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण और प्रसार के लिए **कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई)** के विभिन्न स्कीम घटकों के माध्यम से असम राज्य सहित पूरे देश में वित्तीय सहायता प्रदान करता है और संबंधित स्कीमों के तहत गठित विशेषज्ञ/ मूल्यांकन/ संचालन समिति के माध्यम से स्कीमों के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की आवधिक समीक्षा करता है। समितियां स्कीम के दिशानिर्देशों के अधीन, आवेदकों द्वारा की गई पिछली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों/कार्यकलापों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर विभिन्न स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त पात्र प्रस्तावों की जांच और समीक्षा करती हैं।

(ख): सांस्कृतिक उत्सवों, मेलों और पारंपरिक आयोजनों के लिए ऐसा कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन निर्धारित नहीं किया गया है। संगठनों से प्राप्त पात्र प्रस्तावों की संख्या और उस

पर विशेषज्ञ/ मूल्यांकन/ संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार केएसवीवाई के विभिन्न स्कीम घटकों के तहत निधियां स्वीकृत/ अनुशंसित की जाती हैं। केएसवीवाई के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
2023-24	218.36
2024-25	201.67
2025-26	366.15

(ग): मंत्रालय में ऐसा कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय द्वारा सीधे और अपने स्वायत्त संगठनों के जरिए कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों, जिसमें सांस्कृतिक संगठनों, रेपर्टरी, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति और अन्य प्रचार पहलों के लिए अनुदान भी शामिल है, के माध्यम से पात्रता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन कलाकारों, प्रस्तुतिकर्ताओं और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): सरकार कला संस्कृति विकास योजना के तहत विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जारी वित्तीय सहायता के माध्यम से सांस्कृतिक कर्मियों की आजीविका का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, पूरे देश में लोक/ जनजातीय कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की सुरक्षा, संवर्धन और परिरक्षण के लिए, भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) और अकादमियों की स्थापना हैं जो पूरे भारत में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये जेडसीसी सांस्कृतिक कर्मियों को उनके सदस्य राज्यों में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों में शामिल करके एक मंच प्रदान करते हैं। ये जुड़ाव कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, व्यापक पहचान प्राप्त करने और पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित और बढ़ावा देने में सक्षम बनाते हैं। कलाकारों को मानदेय, यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता, भोजन और आवास, स्थानीय परिवहन आदि भी प्रदान किया जाता है जो उनकी आय को बढ़ाने में मदद करता है और उन्हें एक स्थायी आजीविका के रूप में अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं।
